

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक

क्रमांक एफ 2-54/2016/सात-2 --- राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29.06.2016 द्वारा श्री देवलूराम मार्गिया, तहसीलदार भैसमा जिला कोरबा का स्थानांतरण फरसगांव जिला कोण्डागांव किया गया था।

2/ उक्त आदेश के विरुद्ध श्री देवलूराम मार्गिया, तहसीलदार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में W.P.(S) NO. 4217/2016 दायर किया गया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने पारित आदेश 31.08.2016 में नियमानुसार निराकरण किये जाने हेतु निर्देश दिया गया था।

3/ अतः राज्य शासन एतद्द्वारा याचिका क्रमांक W.P.(S) NO. 4217/2016 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के पारित आदेश दिनांक 31.08.2016 के पालन में श्री देवलूराम मार्गिया, तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार करते हुए उनका ~~जिला~~ फरसगांव जिला कोण्डागांव किया गया स्थानांतरण निरस्त करते हुए कलेक्टर के विकल्प पर जिला सरगुजा में पदस्थ करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.निहलानी)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

(राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग)

नया रायपुर, दिनांक

पृ.क्रमांक एफ 2-54/2016/सात-2
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर.
2. निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर.
3. रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर की ओर याचिका क्रमांक W.P.(S) NO. 4217/2016 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त बिलासपुर/बस्तर/सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़.
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर.
6. कलेक्टर, जिला- कोरबा/कोण्डागांव/सरगुजा, छत्तीसगढ़.
7. कोषालय अधिकारी, जिला- कोरबा/कोण्डागांव/सरगुजा, छत्तीसगढ़.
8. श्री देवलूराम मार्गिया, तहसीलदार, भैसमा, जिला- कोरबा, छ.ग. की ओर पालनार्थ प्रेषित।
9. व्यक्तिगत नस्ती/विभागीय जांच पटल/गोपनीय फोल्डर/गार्ड फाइल।
10. राजस्व विभाग की वेबसाईट www.cg.nic.in/revenue में अपलोड हेतु की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(पी.निहलानी)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

(राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग)